112

संख्या–205/XLI-1/2013–19/13

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 31 :मार्च, 2013

विषयः– **राजकीय पालीटैक्निक, मलसभागाज, भगवानपुर (हरिद्वार) के अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–175/XLI-1/13–77/2012, दिनांक 20.02.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय पालीटेक्निक, मलसभागाज, भगवानपुर जनपद हरिद्वार के अनावासीय भवन निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु (प्रकियात्मक कार्य) हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹13.20 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आगणन ₹8.94 लाख (रूपये आठ लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, इतनी ही धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1) कार्य पर उतनी ही व्यय किया जायेगा, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था के साथ निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

(2) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।

(4) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(5) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाये।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–30 के के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–00–आयोजनागत–03–राजकीय बहुधंधी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–416(P)/XXVII(3)/2012–13 दिनॉक 31 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कोषाधिकारी, उप कोषागार, श्रीनगर(गढ़वाल)।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - **205/XLI-1/2013-19/13**

अनुदान संख्या - **030**

अलोटमेंट आई डी - **S1303300906**

आवंटन पत्र दिनांक - 31-Mar-2013

HOD Name - Director Technical Education (4110)

1: **लेखा शीर्षक -** 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत पर
104 - बहुशिल्प
00 - ,
02 - तकनीकी शिक्षा
03 - राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भ

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - भवन निर्माण कार्य	9106000	894000	10000000
	9106000	**894000**	**10000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 894000